



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062025-264167
CG-DL-E-26062025-264167

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2025/आषाढ़ 5, 1947

No. 377]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2025/ASHADHA 5, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2025

सं. 04/2025-सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 420(अ).— जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए इफेक्ट पिगमेंट को छोड़कर, प्रभावी पर्लसेंट पिगमेंट या माइका पर्लसेंट पिगमेंट” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे एतश्मिन पश्चात उक्त सीमा शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3206 11 10, 3206 11 90, 3206 19 00 और 3206 49 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में अधिसूचना संख्या 6/08/2024-डीजीटीआर, दिनांक 28 मार्च, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों और शुद्धिपत्र अधिसूचना संख्या सीवीडी (ओआई) - 01/2024 दिनांक 16 जून 2025 में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देश से आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया था;

- (ii) प्रश्नगत उत्पादों को आर्थिक सहायता मिलने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त आयात के कारण हुई है,

और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर निश्चयात्मक 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर उस राशि तक की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है जो कि कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है, यथा:-

ड्यूटी सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक का देश	उत्पादकर्ता	ड्यूटी की राशि, सीआईएफ मूल्य के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	3206 11 10, 3206 11 90, 3206 19 00, 3206 49 90	ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए इफेक्ट पिगमेंट को छोड़कर, प्रभावी पर्लसेंट पिगमेंट या माइका पर्लसेंट पिगमेंट	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	मेसर्स रीका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	14.49%
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	मेसर्स हेनान लिंगबाओ न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	16.74%
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	मेसर्स झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी	14.63%

					डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	
4.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	मेसर्स जियांग्सू प्रिंटी न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड	11.18%
5.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्र.सं. 1 से 4 के अलावा कोई अन्य उत्पादक	25.76%
6.	-तदैव-	-तदैव-	कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	25.76%

नोट 1: एंटी-डॉपिंग/काउंटरवेलिंग ज्यूटी उपायों के संग्रह के लिए,-

- क. औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए प्राकृतिक ग्रेड के पियरलेसेंट पिगमेंट या अभ्रक पियरलेसेंट पिगमेंट के प्रभाव के मामले में, काउंटरवेलिंग शुल्क की मात्रा कॉलम (7) के अनुसार देय राशि और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 13/2023-सीयूएस (एडीडी), दिनांक 22 नवंबर 2023 के अनुसार देय एंटीडॉपिंग शुल्क के बीच अंतर के बराबर होगी;
- ख. कॉस्मेटिक अनुप्रयोग के लिए प्राकृतिक ग्रेड के प्रभावी पर्लसेंट पिगमेंट या माइका पर्लसेंट पिगमेंट के मामले में, चूंकि कोई एंटी-डॉपिंग शुल्क देय नहीं है, इसलिए प्रतिकारी शुल्क की मात्रा कॉलम (7) के अनुसार देय राशि के बराबर होगी;
- ग. ऑटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए प्राकृतिक ग्रेड के प्रभावी पियरलेसेंट पिगमेंट या माइका पियरलेसेंट पिगमेंट के मामले में, कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, और
- घ. सिंथेटिक ग्रेड के प्रभावी पर्लसेंट पिगमेंट या माइका पर्लसेंट पिगमेंट के मामले में, चूंकि कोई एंटी-डॉपिंग शुल्क देय नहीं है, इसलिए प्रतिकारी शुल्क की मात्रा कॉलम (7) के अनुसार देय राशि के बराबर होगी।

नोट 2: सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया काउंटरवेलिंग शुल्क आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लगाया जाएगा (जब तक कि इससे पहले इसे रद्द, अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया जाता है) और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण: - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

- (क) इस तरह के काउंटरवेलिंग शुल्क की गणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय की दर वह दर होगी जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में निर्दिष्ट है, जो समय-समय पर जारी की जाती है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, और विनिमय दर के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तिथि उक्त अधिनियम की धारा 46 के तहत बिल ऑफ एंटी की प्रस्तुति की तिथि होगी।
- (ख) "सीआईएफ मूल्य" का अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत निर्धारित निर्धारण योग्य मूल्य है।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/30/2025-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th June, 2025

No. 04/2025-Customs (CVD)

G.S.R. 420(E).— Whereas, in the matter of “Effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments, excluding effect pigments for automotive applications” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 3206 11 10, 3206 11 90, 3206 19 00 and 3206 49 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, *vide* Notification 06/8/2024-DGTR, dated the 28th March, 2025, read with Corrigendum Notification No. CVD (OI) – 01/2024 dated the June 16th, 2025 has come to the conclusion that—

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country at subsidised prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury due to subsidisation of the subject goods;
- (iii) material injury has been caused by the subsidised imports of the subject goods originating in or exported from the subject country,

and has recommended the imposition of definitive countervailing duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the Designated Authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, countervailing duty calculated at the rate mentioned in the corresponding entry in column (7) of the said Table, namely:-

DUTY TABLE

S.N.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty as % of CIF Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	3206 11 10, 3206 11 90, 3206 19 00, 3206 49 90	Effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments, excluding effect pigments for automotive applications.	China PR	Any country including China PR	M/s Rika Technology Co. Ltd.	14.49%
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Henan Lingbao New Materials Technology Co. Ltd	16.74%
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Zhejiang Coloray Technology Development Co., Ltd	14.63%
4	-do-	-do-	China PR	Any country	M/s Jiangsu Pritty New Material Co., Ltd.	11.18%

				including China PR		
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than at SN (1) to (4) above	25.76%
6	-do-	-do-	Any other country	China PR	Any producer	25.76%

Note 1: For collection of anti-dumping/countervailing duty measures, -

- in case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of natural grade for industrial application, quantum of countervailing duty shall be equivalent to the difference between amount payable as per column (7) and antidumping duty payable as per customs Notification No. 13/2023-Cus (ADD), dated 22nd November 2023;*
- in case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of natural grade for cosmetic application, since no anti-dumping duty is payable, the quantum of countervailing duty shall be equivalent to the amount payable as per column (7);*
- in case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of natural grade for automotive application, no countervailing duty should be charged; and*
- in case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of synthetic grade, since no anti-dumping duty is payable, the quantum of countervailing duty shall be equivalent to the amount payable as per column (7).*

Note 2: The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

2. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation: – For the purposes of this notification-

- the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.
- “CIF value” means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. CBIC-190349/30/2025-TRU Section-CBEC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.